स्थायी वित्त निर्देश 01 / 2024

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
–:: मंत्रालय ::–
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 1537 / F-2013-04-00224 / सम. / ब–4 / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/05/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– अधिकारियों को शासकीय दूरभाष की सुविधा के संबंध में ।

संदर्भ :–
1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 998 / ब–1 / चार / 2003, दिनांक 02.12.2003 (वित्त निर्देश 57 / 2003)
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 1219 / 2009 / वित्त / ब–4 / चार, दिनांक 01.12.2009 (वित्त निर्देश 37 / 2009)
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. एफ–3 / 1 / 2004 / ब–4 / चार / 1402, दिनांक 06.10.2010 (वित्त निर्देश 39 / 2010)
4. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 1263 / वित्त / बजट–4 / चार / 2011, दिनांक 16.08.2011 (वित्त निर्देश 35 / 2011)
5. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 68 / सम. / ब–4 / चार, दिनांक 11.04.2014 (वित्त निर्देश 20 / 2014)

----000----

राज्य शासन के अधिकारियों हेतु दूरभाष की सुविधा के संबंध में संदर्भित निर्देश जारी किये गये है। उक्त समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार समेकित निर्देश जारी किए जाते है :–

क्र.	पदनाम	व्यय की सीमा (रूपये प्रतिमाह)	
		कार्यालय	निवास
1	प्रमुख सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / संभागायुक्त / क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक	4500	2500
2	जिलाध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक	3500	2000
3	विशेष सचिव / अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव या समकक्ष अधिकारी	1300	750
4	मंत्रालय के अवर सचिव व अनुभाग अधिकारी या समकक्ष अधिकारी	1000	500

निरंतर..2 /

2. प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/संभागायुक्त/क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के निवास पर यदि आवश्यक हो तो ब्राडबैंड सुविधा हेतु एक अतिरिक्त लैंडलाईन दूरभाष उपलब्ध कराई जा सकती है जिसके लिए मासिक व्यय सीमा के अतिरिक्त राशि 1000/— प्रतिमाह की पात्रता होगी।
3. दूरभाष की उपरोक्त मासिक व्यय सीमा में लैंडलाईन दूरभाष/मोबाईल/ब्राडबैंड इत्यादि का व्यय भी शामिल है।
4. मोबाईल फोन का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा देयक/रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा मोबाईल उपकरण पर होने वाले व्यय का वहन शासकीय सेवक स्वयं करेगा।
5. यदि विभागों के लिए निर्धारित किये गये पॉलिसी के अंतर्गत किसी शासकीय कर्मचारियों को दूरभाष की पात्रता है, उसे पूर्व में निर्धारित सीमा एवं शर्तो के तहत ही भुगतान की पात्रता होगी।
6. शासकीय दूरभाष की पात्रता किन अधिकारियों को होगी, यह प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागों को वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका भाग—1 खंड—2 सरल क्रमांक 19 में दिये गये अधिकारों के अंतर्गत निर्धारित किया जायेगा।
7. शासकीय दूरभाष बिल का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाना आवश्यक होगा।
8. किसी भी शासकीय अधिकारी के निवास पर एक से अधिक शासकीय दूरभाष की पात्रता नहीं होगी, भले ही उस अधिकारी के पास एक से अधिक विभागों का प्रभार हो।
9. शासकीय दूरभाष देयकों का भुगतान निर्धारित समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जावें। यदि समय पर भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त राशि देय होती है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी से अतिरिक्त राशि वसूल की जावें।
10. शासकीय कार्यालय के दूरभाष की मासिक व्यय सीमा से 20 प्रतिशत तक आधिक्य व्यय की स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी होगें।
11. दूरभाष की मासिक व्यय सीमा से 20 प्रतिशत तक आधिक्य व्यय से अधिक व्यय की स्थिति में सहमति/कार्योत्तर सहमति हेतु वित्त विभाग को निम्नलिखित जानकारी सहित प्रस्तुत की जा सकेगी—
    (i) प्रशासकीय विभाग द्वारा किये गये आधिक्य पर औचित्य पूर्ण टीप।
    (ii) दूरभाष देयक की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
    (iii) दूरभाष देयक पर संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जावें कि देयक में सभी कॉल्स शासकीय है एवं उनमें कोई भी कॉल निजी नहीं है।
    (iv) निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय के प्रकरण में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव

निरंतर.3/

पृ.क्रमांक 1538 /F-2013-04-00224/सम./ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9/05/2024

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर –19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर

–––––को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

(लोकेन्द्र कुमार साहू)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी